

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-सा.-06092021-229439
SG-DL-W-06092021-229439

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 09] दिल्ली, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2021, बृहस्पतिवार / भाद्र 5—भाद्र 11, 1943 [रा.रा.क्षे.दि.सं. 157
No. 09] DELHI, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2021, THURSDAY / BHADRA 5—BHADRA 11, 1943 [N.C.T.D. No. 157

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन
आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

सं.—मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt.file/14600.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया
जाता है :

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
आदेश
नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ.अनु.-II/दि.-वि.सभा/20/2020.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 20-चौदनी चौक
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 14.01.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा विधानसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित
करने की घोषणा की थी और श्री सतपाल (असंख्य समाज पार्टी) ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. CEO/COE/102/(77)DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 दिनांक 26.05.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 20- चाँदनी चौक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (असंख्य समाज पार्टी) के अभ्यर्थी, श्री सतपाल विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री सतपाल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.09.2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 24.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री सतपाल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, अभ्यर्थी की बहन श्रीमति संध्या द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 06.10.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती एसडीएम(ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 13.10.2020 के पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/1150 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी।

और यतः, एसडीएम (ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 04.08.2021 के अपने पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/2931 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री सतपाल ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सतपाल निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 20- चाँदनी चौक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सतपालनिवसी-एच नं0- 35. ब्लाक-आई, अरुणा नगर मजनु का टिला, दिल्ली-110054 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा
अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 31st August, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/14600.—The following is published for general information.—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 25th August, 2021

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-LA/20//2020.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi from **20-Chandni Chowk Assembly Constituency** vide its Notification dated **14.01.2020** and **Shri Satpal (Asankhya Samaj Party)** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, Central District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/COE/102/(77)/DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 dated 26-05-2020**, **Shri Satpal (Asankhya Samaj Party)**, contesting candidate from **20-Chandani Chowk Assembly Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge an account of his election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Central District, Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **24-09-2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Satpal (Asankhya Samaj Party)** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **24-09-2020**, **Shri Satpal** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was made to serve to Ms.Sandhya, sister of **Shri Satpal** on **06-10-2020** and acknowledgment receipt obtained from the Sister of candidate was submitted to the Commission by **SDM(E), Central** vide his letter No. **F. DEO/C/75/E. Expenses/DLA-20/1150 dated 13-10-2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM(E), Central Delhi** vide his letter No. **DEO/C/75/E. Expenses/DLA-20/2931 dated 04-08-2021**, it has been stated that **Shri Satpal** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice of the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Satpal** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Satpal, r/o House No. 35 Block I, Aruna Nagar Majnuka Tila Delhi-110054** the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 from **20-Chandni Chowk Assembly Constituency** of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for

being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,
AJOY KUMAR, Secy.

By Order
AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electoral Officer

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt.file/14601.-निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ.अनु.-11/दि.-वि.सभा/20/2020.— यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 20- चाँदनी चौक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 14.01.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा विधानसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेख (टीपू सुल्तान पार्टी) ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. CEO/COE/102/(77)DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 दिनांक 26.05.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 20- चाँदनी चौक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (टीपू सुल्तान पार्टी) के अभ्यर्थी, श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेख विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेख को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.09.2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 24.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेख को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेख द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 05.10.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती एसडीएम(ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 13.10.2020 के पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/1150 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी।

और यतः, एसडीएम (ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 04.08.2021 के अपने पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/2931 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेख ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेख निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 20- चाँदनी चौक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सादिक मुनीरोद्दीन शेखनिवसी-18, खसरा संख्या 17/20/4, श्री एन्कलेव प्रहालादपुर, बागंर बिलेज, दिल्ली-110042 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा

अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 31st August, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/14601.—The following is published for general information.—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 25th August, 2021

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-LA/20/2020.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi from 20-Chandni Chowk Assembly Constituency vide its Notification dated 14.01.2020 and Shri Sadeque Muniruddin Shaikh (Tipu Sultan Party) had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, Central District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/COE/102/(77)/DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 dated 26-05-2020**, **Shri Sadeque Muniruddin Shaikh (Tipu Sultan Party)** contesting candidate from **20-Chandani Chowk Assembly Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge an account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Central Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **24-09-2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Satpal (Asankhya Samaj Party)** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **24-09-2020**, **Shri Sadeque Muniruddin Shaikh** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was made to serve to **Shri Sadeque Muniruddin Shaikh** on **05-10-2020** and acknowledgment receipt obtained from the candidate was submitted to the Commission by **SDM(E), Central** vide his letter No. **DEO(C)/75/E. Expenses/DLA-20/1150 dated 13-10-2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM(E), Central Delhi** vide his letter No. **DEO/C/75/E. Expenses/DLA-20/2931 dated 04-08-2020**, it has been stated that **Shri Sadeque Muniruddin Shaikh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice of the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Sadeque Muniruddin Shaikh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sadeque Muniruddin Shaikh** r/o **18 Khasra No. 17/20/4 Shri Enclave Pralahadpur, Bhangar Gaon, Delhi-110042** the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 from **20-Chandni Chowk Assembly Constituency** of the NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order

AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electoral Officer